रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 1974/ज्येष्ठ 8, 1896
No. 246] NEW DELHI WEDNESDAY, MAY 29, 1974/JYAISTHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th May 1974

S.O. 330(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Kamal Nath Tiwary, a member elected to that House from 3-Bettiah Parliamentary Constituency in the State of Bihar;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 6 July, 1974, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/BR-HP/1/74(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मई, 1974

एस० ओ० 330 (अ).—यतः बिहार राज्य में-3 बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री कमल नाथ तिवारी की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 6 जुलाई, 1974 से पूर्व, उक्त अधिनियम और तदधीनबनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित करवें।

[सं० 100/बिहार-लो० स० /1/74 (1)]

S.O. 331(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 3-Bettiah Parliamentary Constituency in the State of Bihar in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/74(1), dated 29 May, 1974—

(a) 5 June, 1974 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) 6 June, 1974 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 8 June, 1974 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 30 June, 1974 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 6 July, 1974 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/BR-HP/1/74(2)]

एस० ओ० 331 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/बिहार-लो० स०/1/74 (1), तारीख 29 मई 1974 के अनुसरण में 3-बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	5 जून, 1974 (बुधवार) ;
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	6 जून, 1974 (बृहस्पतिवार) ;
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख	8 जून, 1974 (शनिवार) ;
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा . . .	30 जून, 1974 (रविवार) ; तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा . :	6 जुलाई, 1974 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/बिहार-लो० स०/1/74(2)]

S.O. 332(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7 a.m. to 5 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 3-Bettiah Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/1/74(1), dated 29 May, 1974.

[No. 100/BR-HP/1/74(3)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 332 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/बिहार-लो० स०/1/74(1), तारीख 29 मई, 1974 के अनुसरण में 3-बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7-00 बजे पूर्वाह्न से 5-00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/बिहार-लो० सं०/1/74(3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974